सूचना अनुभाग

संख्या- 84 / XXII (1)/2016-1(11)2015

दिनांक : 09 फरवरी, 2016

<u>अधिसूचना/प्रकीर्ण</u>

राज्यपाल उत्तराखण्ड इलेक्ट्रानिक मीडिया विज्ञापन मान्यता निमयावली 2015 में अग्रेत्तर संशोधन किये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है, अर्थात

नियम-7 का संशोधन - मूल नियमावली में नियम-7 जो स्तम्भ-1 में दिये गये है के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
2 बिन्दु संख्या 07	बिन्दु संख्या 07
दर निर्धारण एवं विज्ञापन निर्गत करना :-	दर निर्धारण एवं विज्ञापन निर्गत करना :-
(7)(2) (ख) रू. 800 प्रति 10 सेकेण्ड हेतु पात्रता की शर्ते (एक) 09 से 12 जिला मुख्यालयो तथा परिशिष्ट ''क' ' में उल्लिखित नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम 10 क्षेत्रो में केबल टीवी पर प्रसारित हो रहा हो और (दो) न्यूनतम 03 DTH सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ अनुबंधित हो। और (तीन Davp Empanelment अनिवार्य है। और (चार) Channel on air 16 घण्टे अनिवार्य है।	(ख) रू. 800 प्रति 10 सेकेण्ड हेतु पात्रता की शर्ते (एक) न्यूनतम जिला मुख्यालयो (राज्य मुख्यालय सहित) तथा परिशिष्ट ''क' ' में उल्लिखित नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम 10 क्षेत्रो में केबल टीवी पर प्रसारित हो रहा हो अथवा न्यूनतम 04 DTH सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ अनुबंधित हो।

(7)(2) (ग) रू. 400 प्रति 10 सेकेण्ड हेतु पात्रता की शर्तें : (एक) 6 से 8 जिला मुख्यालयों तथा परिशिष्ट ''क' ' में उल्लिखित नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम 8 क्षेत्रों में केबल टी वी पर प्रसारित हो रहा हो और (दो) न्यूनतम 2 DTH सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ अनुबंधित हो (तीन) Davp Empanelment अनिवार्य है। और (चार) Channel on air 16 घण्टे अनिवार्य है।	(ग) रू. 400 प्रति 10 सेकेण्ड हेतु पात्रता की शर्तें : (एक) 6 जिला मुख्यालयों (राज्य मुख्यालय सहित) तथा परिशिष्ट ''क' ' में उल्लिखित नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम 8 क्षेत्रों में केबल टी वी पर प्रसारित हो रहा हो अथवा (दो) 6 जिला मुख्यालयों (राज्य मुख्यालय सहित) केबिल आपरेटरों तथा न्यूनतम 2 DTH सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ अनुबंधित हो अथवा DTH सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ अनुबंधित हो।
7)(2) (घ) रू. 100 प्रति 10 सेकेण्ड हेतु पात्रता की शर्तें : नियम 6 की शर्तें पूर्ण होने पर महानिदेशक सम्बन्धित चैनल को न्यूनतम दर अनुमन्य कर सकते हैं।	(घ) रू. 100 प्रति 10 सेकेण्ड हेतु पात्रता की शर्तें
(दो) इस नियमावली के लागू होने की तिथि से पूर्व विभाग में विभिन्न दरों पर सूचीबद्व चैनलों को 06 माह हेतु पुरानी दरों पर सूचीबद्व माना जायेगा। 06 माह के उपरान्त नीति में निर्धारित श्रेणी क, ख, ग, घ के अनुरूप ही पूर्व में सूचीबद्व चैनलों को सूचीबद्व कर दरें निर्धारित की जायेंगी। यह पूर्णतः चैनल का दायित्व होग कि वे विभागीय नीति के अनुरूप मानको को पूर्ण करें अन्यथा पूर्व में चली आ रही सूचीबद्वता निरस्त हो जायेगी।	(दो) इस संशोधित नियमावली के लागू होने की तिथि से पूर्व विभाग में विभिन्न दरों पर सूचीबद्व चैनलों को 03 माह तक पुरानी दरों पर सूचीबद्व माना जायेगा। नीति में निर्धारित श्रेणी क, ख, ग, घ के अनुरूप ही पूर्व में सूचीबद्व चैनल जो नये दरें प्राप्त करना चाहते है उन्हे नई सूचीबद्वता के प्राविधानों के अन्तर्गत आवेदन करना होगा। यह पूर्णतः चैनल का दायित्व होगा कि वे विभागीय नीति के अनुरूप मानको को पूर्ण करें। अन्यथा पूर्व में चली आ रही सूचीबद्वता निरस्त हो जायेगी।
(पॉच) किसी भी चैनल को सम्पूर्ण कैम्पेन बजट के 15 प्रतिशत से अधिक एक बार में नहीं दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष में किसी एक चैनल समूह को सम्पूर्ण इलैक्ट्रानिक मीडिया विज्ञापन बजट के 15 प्रतिशत से अधिक नही दिया जा सकेगा।	विलोपित।
(ग्यारह) DAVP दरों पर किसी भी चैनल को जो DAVP में सूचीबद्ध हो, विज्ञापन जारी करने का निर्णय लेने का अधिकार महानिदेशक सूचना का होगा और इस हेतु चैनल का विभाग में सूचीबद्ध होना आवश्यक नहीं होगा, गैर सूचीबद्व चैनल को DAVP	(ग्यारह) DAVP दरों पर किसी भी चैनल को जो DAVP में सूचीबद्ध हो, विज्ञापन जारी करने का निर्णय लेने का अधिकार महानिदेशक सूचना का होगा और इस हेतु चैनल का विभाग में सूचीबद्व होना आवश्यक नही होगा।

दरों पर एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक राशि के विज्ञापन जारी करने हेतु राज्य सरकार का अनुमोदन अनिवार्य होगा।	

(विनोद शर्मा)

सचिव

<u>संख्या- 84 (1)/ XXII (1)/2016 तद्दिनाक</u>

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 सूचना मंत्री उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त कुमाउ एवं गढवाल मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग-5 उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
9. महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
10. एन.आई.सी. सचिवालय परिसर।
11. उप निदेशक राजकीय मुद्रणालय रूडकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की वह इस नियमावली का प्रकाशन राजकीय गजट में प्रकाशित कर नियमावली की दो सो प्रतियॉ सूचन अनुभाग उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(विनोद शर्मा)

सचिव